"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 991] नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2025 — पौष 10, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 31 दिसम्बर 2025

आदेश

क्रमांक–Comp. No. 190910 File No. LAW-42/2238/2025.— महाधिवक्ता कार्यालय में पैनल अधिवक्ताओं की फीस के संबंध में, पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर में पैरवी हेतु नियुक्त पैनल अधिवक्ताओं का पारिश्रमिक प्रतिदिन सुनवाई हेतु राशि ₹ 2,500/– (दो हजार पांच सौ रूपये मात्र) स्वीकृत करता है।

नोटः पैनल अधिवक्ताओं की सुनवाई फीस ₹ 2,500/– (दो हजार पांच सौ रूपये मात्र) प्रतिदिन से अधिक नहीं होगी, भले ही कोई पैनल अधिवक्ता एक दिन में एक से अधिक मामलों में उपस्थित हुए हों, किंतु कम से कम एक प्रकरण में सुनवाई हेतु उपस्थित होना आवश्यक होगा।

यह सहमति वित्त विभाग के क्रमांक Finance Department No. FINACC-38029/1489/2025 FINANCE Dated 23-12-2025 द्वारा प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भूपेन्द्र कुमार वासनीकर, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.